न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 95/2022 दायर दिनाँक 02.03.2022

वादी

1. सवाईसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह उम्र 39 जाति राजपुत निवासी (खोखरो का बास) निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रतनसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपुत निवासी (खोखरो का बास) सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
2. भंवरलाल पुत्र तुलसीदास उम्र 58 वर्ष जाति साद निवासी क्यामसर तहसील डीडवाना।
3. शाखा प्रंबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा नूवां।
4. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री पूरण सिंह बोहरा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 14.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम सुद्रासन, पटवारी हल्का सुद्रासन, भू0अभि0 नि0 नूवां में कृषि भूमि 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 बारानी उतम अवस्थित है जो भूमि संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जिसके वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 02 खातेदार, काबिज काश्तकार है।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि उपरोक्त खसरा सं0 जिसके वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार बंट कर रखा है। प्रतिवादी सं0 02 भंवरलाल पुत्र तुलसीदास ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचाण के प्रतिवादी सं0 01 की भूमि में से 11/180 खरीद कर संयुक्त रूप से काबिज काश्त हुये प्रतिवादी सं0 02 ने अपनी भूमि को स्वयं के उपयोग व उपभोग में लेने हेतु खरीद किया था जिस पर प्रतिवादी सं0 02 का ही कब्जा काश्त है। उक्त खरीद सुदा भूमि जो खातदोरी में 11/180 के रूप में दर्ज है। जो लगभग 5 बिस्वा बनती है। जो उत्तरी सड़क से दक्षिणी तरफ लम्बे रूप में खरीद की गई है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 01 रतनसिंह वादी का सगा भाई है। परन्तु अपने हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी सं0 02 को 11/180 हिस्सा बैचाण कर देने के पश्चात शेष हिस्सा 79/180 रतन सिंह के नाम दर्ज है वादी का सम्पूर्ण रकबे में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.3650 हैक्टे0 भूमि कब्जा काश्त में है जिस पर वादी निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है।

उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन निम्न प्रकार घोषित किया जावें —

1. वादी सवाईसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि :— खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.3650 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
2. प्रतिवादी सं0 01 रतन सिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि — खसरा सं0 1026 रकबा 0.[illegible] हैक्टे0 में से 0.2906 हैक्टे0 भूमि अर्थात 79/180 हिस्सा [illegible] नजरी नक्शा अनुसार।
3. प्रतिवादी सं0 02 भंवरलाल पुत्र तुलसीदास [illegible] हैक्टे0 में से 0. हिस्से में आई भूमि — खसरा सं0 1026 [illegible] 0744 हैक्टे0 भूमि अर्थात 11/108 हिस्सा [illegible] नजरी नक्शा अनुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–वादी यह है कि :–

यह है कि उपरोक्त वर्णित बंट व कब्जे अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 02 के बीच नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर खातेदारी में नाम अमल दरामद किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में तरमीम किया जावे जिनका हिस्सा निम्न प्रकार है।

1. वादी सवाईसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि :– खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.3650 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
2. प्रतिवादी सं0 01 रतन सिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.2906 हैक्टे0 भूमि अर्थात 79/180 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
3. प्रतिवादी सं0 02 भंवरलाल पुत्र तुलसीदास जाति साद के बंट व हिस्से में आई भूमि – खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.0744 हैक्टे0 भूमि अर्थात 11/108 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी सं0 01 इकबालिया व प्रतिवादी सं0 02 का राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तसदीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 03, 04 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–: आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम सुद्रासन, पटवारी हल्का सुद्रासन, भू0अभि0 नि0 नूवां में कृषि भूमि 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है। मरूधरा ग्रामीण बैंक नूवां की रहन यथावत रहेगी।

1. वादी सवाईसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि :– खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.3650 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
2. प्रतिवादी सं0 01 रतन सिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.2906 हैक्टे0 भूमि अर्थात 79/180 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
3. प्रतिवादी सं0 02 भंवरलाल पुत्र तुलसीदास जाति साद के बंट व हिस्से में आई भूमि – खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.0744 हैक्टे0 भूमि अर्थात 11/108 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनाँक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:55 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्याः 95/2022 दायर दिनाँक 02.03.2022

वादी

1. सवाईसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह उम्र 39 जाति राजपुत निवासी (खोखरो का बास) निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रतनसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपुत निवासी (खोखरो का बास) सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
2. भंवरलाल पुत्र तुलसीदास उम्र 58 वर्ष जाति साद निवासी क्यामसर तहसील डीडवाना।
3. शाखा प्रंबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा नूवां।
4. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 14.05.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री पूरण सिंह बोहरा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम सुद्रासन, पटवारी हल्का सुद्रासन, भू0अभि0 नि0 नूवां में कृषि भूमि 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है। मरूधरा ग्रामीण बैंक नूवा की रहन यथावत रहेगी।

1. वादी सवाईसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि :– खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.3650 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
2. प्रतिवादी सं0 01 रतन सिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.2906 हैक्टे0 भूमि अर्थात 79/180 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
3. प्रतिवादी सं0 02 भंवरलाल पुत्र तुलसीदास जाति साद के बंट व हिस्से में आई भूमि – खसरा सं0 1026 रकबा 0.7300 हैक्टे0 में से 0.0744 हैक्टे0 भूमि अर्थात 11/108 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–..... .....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुंतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner